न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– आरटीए / 188 / 2012

उनवान

1. नन्दा पिता सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. चान्दी पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. घीसी पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राधा पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. बदाम पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. सरजू बेवा स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (नाम डिलिट दिनांक 7.6.2017)

अपीलाण्ट्स / प्रतिवादी संख्या 1 से 6

बनाम

1. श्रीमती नन्दू पुत्री बालू पत्नी भैरू जाट निवासी दांताकला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती प्रेम पुत्री बालू पत्नी राम लाल जाट निवासी दांताकला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स / वादीगण

3. पन्ना आत्मज गंगाराम जाट निवासी पायरा मृतक के कायम मुकाम :–

3 / 1 भैरू पिता पन्ना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा

3 / 2 शिव लाल पिता पन्ना जाट निवासी पायरा

3 / 3 श्रीमती बदाम देवी पत्नी स्व0 लेहरू जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3/4 नारायण पिता लेहरू जाट निवासी पायरा
3/5 चन्दा पुत्री लेहरू जाट निवासी पायरा

4. अनोपी पुत्री गंगाराम जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. कल्याण आत्मज भवाना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. जगन्नाथ आत्मज भवाना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. राधा पुत्री भवाना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. सुखा आत्मज कालु जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. उदा आत्मज कालू जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. ईश्वर आत्मज हजारी जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
11. शंकर आत्मज हजारी जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
12. लादू आत्मज हजारी जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी संख्या 7 से 17

(मुहर: न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा (राज.))

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 232/2009 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक दिनांक 2.2.2012

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन, , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अमित कोठारी, ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

(हस्ताक्षर)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. श्री ओम प्रकाश पटवारी,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3/1 से 3/5
4. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 27.6.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज प्रताप जी थे। जिनके दो पुत्र बालू व सुखा जी हुए । बालु जी के वादीगण वारिसान हैं तथा सुखा जी के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वारिसान है। वादग्रस्त आराजी रामपुरिया उर्फ पायरा पटवार क्षेत्र बालेसरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील भीलवाडा की जमाबंदी संवत 2064 से 2067 के खाता संख्या 44 नया के आराजी नम्बर 372 रकबा 8 बिस्वा 1/2 हिस्सा में से वादिया का हिस्सा निहित है।

भाग –ब

के खाता संख्या 45 के आराजी संख्या 107 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 110 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्से में वादिया का हिस्सा निहित है।

भाग –स

के खाता संख्या 46 के आराजी संख्या 115 रकबा 5 बिस्वा आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा में से वादिया का का हिस्सा निहित है।

भाग –द

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के खाता संख्या 47 के आराजी संख्या 55 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 56 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 57 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 63 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 111 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 112 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 113 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 369 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 370 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 371 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 385 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 386 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 388 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हैं में से वादिया 1/2 हिस्सा निहित है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम चली आ रही है। जबकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होकर पीढी दर पीढी विरासत से भुगतभोग में चली आ रही है।

2. वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा वादीगण का है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का है एवं उसी प्रकार उभयपक्ष काबिजकाश्त है। वादग्रस्त आराजियात मौरूसी होकर वादीगण का उसमे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक अधिकार निहित है परन्तु वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम पर होने से वे वादग्रस्त आराजियात विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादीगण को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उसी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जावे, वादिया के हिस्से की आराजियात पर वादिया का अलग से कब्जा कराया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजियात किसी अन्य को विक्रय, बय बक्षीस नहीं कर, कब्जा न हटायें । दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल कर दे तो पुनः कब्जा दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया बाद विचारण प्रारंभिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.2.2012 द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी यथासमय नहीं हो सकी थी। जानकारी होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * भीलवाड़ा (राज.) * सत्यमेव जयते

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाया था जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे। यह सही है कि अपीलार्थीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज प्रताप जी ही थे एवं उनके दो पुत्र बालु एवं सुखा थे। बालु जी की संतान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ही हैं। चूंकि बालु के सगे भाई सुखा जी थे जो कि अपीलार्थीगण के पिता थे। जिनके नाम पर विरासत के जरिये दर्ज हुई । चूंकि बालु के कोई लडका नहीं था एवं बालु की सेवा चाकरी बालु का भाई सुखा ही कर रहा था व सामाजिक कार्यक्रम व सम्पूर्ण खर्चा भी सुखा ही वहन कर रहा था इसलिए बालु की मृत्यु के बाद बालु की दोनों पुत्रियों नन्दू व प्रेम ने अपने काका सुखा जो कि बालु का सगा भाई था । जिनके पक्ष में एक हक परित्याग पत्र समाज व गांव के मौतबिर व्यक्तियों व ग्राम विकास पंचायत बालेसरिया की मौजूदगी में दिनांक 14.1. 1986 को निष्पादित कर दिया । उक्त हक परित्याग पत्र के आधार पर ही बालु की विरासत का नामान्तरकरण सुखा आत्मज प्रताप के नाम पर खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया । सुखा जी की मृत्यु के उपरान्त उक्त विरासत के जरिये अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज कर दी गई । उक्त भूमि सुखा जी की मृत्यु के उपरान्त विरासत से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। केवल मात्र लोगो के बहकावे में वाद प्रस्तुत किया गया है। सहमति के आधार पर निर्णित नामान्तरकरण को अपील अथवा घोषणात्मक वाद के जरिये चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा बालु की विरासत का नामान्तरकरण खोला गया उसको प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई। अपीलार्थीगण का नाम तो सुखा की विरासत के जरिये दर्ज हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपना हक व हिस्से का परित्याग कर दिया है तथा सम्पूर्ण भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व रिकार्ड से उक्त विवादित भूमि मौरूसी होना भी साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध बिना तामिल की विधिक प्रक्रिया अपनाए एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था। जिस वजह से अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल पाया था। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिल हुई । उसके बाद यदि उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी तो अपीलार्थीगण को आदेश 9 नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थीगण ने अपनी त्रुटि को सही करने के लिए अपील प्रस्तुत की है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें कोई कमी नहीं दर्शाई है । अपीलार्थीगण पर प्रोपर तामिल हुई है। प्रतिवादी संख्या 4 व 8 की न्यायालय में उपस्थित भी हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उनके कोई प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने की स्थिति में द्वितीय श्रेणी के वारिस के नाम नामान्तरकरण खोला जाता है। अपीलाधीन मामले में बालु के पुत्रियॉ प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जीवित थे ऐसी स्थिति में बालु की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण सुखा जो कि बालू के भाई थे के नाम पर नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिस हक परित्याग का अपीलार्थीगण कथन करते हैं वक्त हक परित्याग प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण नाबालिग थीं। वैसे भी अन रजिस्टर्ड हक परित्याग की दशा में खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। जब वादग्रस्त भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण के हक अधिकार ही निहित नहीं हुए थे तो उनके द्वारा हक परित्याग करना ही सभव नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह सही है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का निवेदन है कि जिस वक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण द्वारा हक परित्याग किया गया था उस समय नन्दु की उम्र 30 वर्ष व मु0 प्रेमी की उम्र 25 वर्ष लिखी गई है। वक्त हक परित्याग प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण बालिग थी।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद माना जाता है।

12. अपीलार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रह गये थे। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अपने पूर्वज का नाम प्रताप होना स्वीकार किया है। प्रताप के दो पुत्र बालू एवं सुखा थे। इस बात से भी उभयपक्ष सहमत है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण का कथन है कि बालू की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजियात जो कि मौरूसी थी, वादीगण के हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम पर दर्ज चली आ रही है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया । वादग्रस्त आराजियात ग्राम रामपुरिया उर्फ पायरा में स्थित होकर जमाबंदी (खेवत खतौनी) संवत 2025 से 2028 में बालु, सुखा पिता प्रताप जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है। इससे यह तो प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजियात पूर्व में बालु एवं सुखा आत्मज प्रताप जाट के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रत्यर्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी थी । इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 2, जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम रामपुरिया उर्फ पायरा तहसील बनडा संवत 2033 से 2036 का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबंदी में वादग्रस्त आराजियात परताप पिता केला जाट के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। विवरण विशेष में परताप की मृत्यु के उपरान्त परताप के दो पुत्र बालु व सुखा के नाम पर इन्द्राज करने की मंजूरी हुई। उक्त इन्द्राज इन्तकाल नम्बर 27 से हुआ। इससे यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थीगण/वादीगण, अपीलार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात थी।

13. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अपने काका सुखा के पक्ष में हक परित्याग किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण ने अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त अपने काका सुखा आत्मज प्रताप के पक्ष में हक परित्याग किया जिस पर अपने पिता बालु के हक की भूमि वादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर वादीगण के काका सुखा आत्मज प्रताप के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया । सुखा की मृत्यु के उपरान्त विरासत से खाता अपीलार्थीगण के नाम पर खोला गया । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपने काका सुखा जी के नाम पर खोले गये नामान्तरकरण को कभी चुनौती नहीं दी। इसके बाद विरासत से वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण सुखा के पुत्र अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1स से 6 के नाम पर खुलने के उपरान्त वाद प्रस्तुत किया है उसमें भी स्वयं द्वारा हक परित्याग करने के तथ्य को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। इस संबध में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता का कथन है कि वक्त हक परित्याग प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 नाबालिग थी। उक्त हक परित्याग पत्र का अवलोकन किया गया उक्त हक परित्याग पत्र अनरजिस्टर्ड है जिससे सुखा जी को वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार प्राप्त ही नही होते हैं ।

14. अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जारी किये गये । नन्दा पिता सुखा, चांदी पत्नि सुखा, घीसी पुत्री गंगाराम,कल्याण पिता भवाना,जगन्नाथ पिता भवाना,राधा पुत्री भवाना को नोटिस की प्रोपर तामिल हुई थी। उसके बाद तारीख पेशी दिनांक 22.6.2010 को प्रतिवादी संख्या 17 उपस्थित थे। प्रतिवादी संख्या 4 राधा एवं प्रतिवादी संख्या 8 अनोपी की भी अंगूठा निशानी उसी आदेशिका पर उपलब्ध है। उनकी अनुपस्थिति भी नहीं दर्शाई है । प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 से 3 , 5 से 7 एवं 9 से 16 को कई मर्तबा आवाज लगवाने पर भी उपस्थित नहीं हुए जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 22.6.2010 को अमल में लाई गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थीगण के विरूद्ध यदि एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अपीलार्थीगण के पास अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर था परन्तु अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था । चूंकि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी थी जिसमें प्रत्यर्थीगण/वादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.2.2012 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 27.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/188/2012

उनवान

1. नन्दा पिता सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. चान्दी पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. घीसी पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राधा पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. बदाम पुत्री स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. सरजू बेवा स्व0 सुखा जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (नाम डिलिट दिनांक 7.6.2017)

अपीलाण्ट्स/प्रतिवादी संख्या 1 से 6

बनाम

1. श्रीमती नन्दू पुत्री बालू पत्नी भैरू जाट निवासी दांताकला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती प्रेम पुत्री बालू पत्नी राम लाल जाट निवासी दांताकला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण

3. पन्ना आत्मज गंगाराम जाट निवासी पायरा मृतक के कायम मुकाम :–

3/1 भैरू पिता पन्ना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा
3/2 शिव लाल पिता पन्ना जाट निवासी पायरा
3/3 श्रीमती बदाम देवी पत्नी स्व0 लेहरू जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3/4 नारायण पिता लेहरू जाट निवासी पायरा
3/5 चन्दा पुत्री लेहरू जाट निवासी पायरा
4. अनोपी पुत्री गंगाराम जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. कल्याण आत्मज भवाना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. जगन्नाथ आत्मज भवाना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. राधा पुत्री भवाना जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. सुखा आत्मज कालु जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. उदा आत्मज कालू जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. ईश्वर आत्मज हजारी जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
11. शंकर आत्मज हजारी जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
12. लादू आत्मज हजारी जाट निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी संख्या 7 से 17

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 232/2009 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक दिनांक 2.2.2012 एवं अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.1.2017

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/188/2012 मे **उपखण्ड अधिकारी, बनेडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड़िक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 27.6.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एम एल सेन वकील एवं प्रत्यर्थीसंख्या 1 व 2 की ओर से श्री अमित कोठारी की उपस्थिति मे दिनांक 27.6.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.2.2012 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड़िक्री जारी की जाती है।

27/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस